(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली.बानसूर

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
अपील : 11/2023
तारीख रजू : 14.09.2023 निर्णय दिनांक : 13.08.2024

उनवान

1. बहादुर पुत्र तुलसा जाति गुर्जर निवासी माजराढाकोड़ा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.। – **अपीलाण्ट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. – **रेस्पौडेन्ट**

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड़ दिनांक 23.02.2022

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. श्री गजानन्द सैनी – वकील अपीलाण्ट।
02. पैरोकार सरकार।

–: निर्णय :–

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 14.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। बाद तलवी अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गजानन्द सैनी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा प्रार्थना बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने तथा मौके पर जाकर फसल जब्त कर निलामी की कार्यवाही से दण्डित करने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तहत अदालत ने तारीख 23.02.2022 को फैसला अपीलाण्ट की गैरमौजूदगी में बाला बाला गलत तरीक पर पारित किया है, जिसका इल्म अपीलाण्ट को तारीख 19.07.2022 को नकल फैसला प्राप्त होने पर हुआ। जिससे बिला देरी अपील पेश की जा रही है। दिनांक 19.07.2022 से पहले अपील फैसला की जानकारी नही थी। जिस देरी के बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद मय शपथपत्र अलग से पेश है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर अरसे दराज 40 सालो से लगातार कब्जा चला आ रहा है व अपीलाण्ट ने आराजी मुतनाजा में मकानात आलात काश्तकारी रखने के लिए व स्वंय के लिए बना रखे है। उक्त जायदाद के अलावा अपीलाण्ट के पास अन्य कोई जायदाद वास्ते रिहायश अपने व अपने परिवारजन के लिए व मवेशीयों के लिए व आलात काश्त रखने के लिए नही है। अपीलाण्ट ने उक्त आराजी पर अतिक्रमण नही किया है, बल्कि अपीलाण्ट का कब्जा उक्त आराजी पर अरसे दराज 40 सालो से अधिक किया है, अपीलाण्ट उक्त आराजी पर नेक नियती से काबिज दखिल है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट गलत तरीके पर राजनीतिक पार्टीबाजी के कारण मौके के खिलाफ की है व तहत अदालत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करके मिन अपीलाण्टान के खिलाफ दफा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत मिन अपीलाण्ट को नोटिस दिया। जिसकी तामील मिन अपीलाण्ट को नही हुई व ना जवाबदेही पेश करने का मौका दिया। जो आदेश काबिल मसुखी है। तहत अदालत का तहत न्यायिक विधि व तथ्यों व पत्रावली के सर्वथा विपरीत

सत्यमेव जयते
कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

आदेश पारित किया है। अन्त में अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट मंजूर फरमायी जाकर तहत अदालत की आज्ञा दिनाक 23.02.2022 मंसुख फरमाया जावे व (पैनल्टी) का हुक्म स्थगित फरमाया जावे व आराजी मुतनाजा अपीलाण्ट को अलॉट की जावे चूंकि अपीलाण्ट काश्तकार है, अपीलाण्ट के पास उक्त आराजी (मकान) के अलावा हलफनामा पेश है।

विभागीय पैरोकार सरकार का तर्क है कि संवत 2078 ग्राम माजरा ढाकोडा के आराजी ख० नं0 314 रकबा 0.48 है० किस्म बंजड़ में से 0.10 है० पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश किये जाने पर प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को धारा 91(3) एल०आर०एक्ट० के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया था। अतिक्रमी द्वारा बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर विधिवत कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त अतिक्रमित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में सिवायचक भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी की भूमि है, जिस पर किसी निजी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते है। अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित भूमि आराजी ख० नं0 314 रकबा 0.48 है० किस्म बंजड़ में से 0.10 है० किस्म बंजड़ वाके ग्राम माजरा ढाकोडा से भौतिक रूप से बेदखल करन तथा मौके पर फसल जब्त कर निलामी कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है, साथ ही भू राजस्व का वार्षिक लगान का पचास गुणा राशि के दण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट/अतिक्रमी के विरूद्ध अतिक्रमण करने पर नियमानुसार विधिवत एवं सही तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है, जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नर्मी का रूख अपनाते हुए विलम्ब की अवधि का माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाण्ट द्वारा आराजी ख० नं0 314 रकबा 0.48 है० किस्म बंजड़ में से 0.10 है० वाके ग्राम माजरा ढाकोडा पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके लिए अपीलाण्ट को अतिक्रमण/कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। जिससे राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। अतः तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 23.02.2022 को पारित आदेश सही साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली बानसूर

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़